

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सिंग हॉस्टल भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन परिसर, रायपुर (छ0ग0)

दूरभाष क्रमांक 0771-2234450-51

वेबसाईट - www.cgdme.co.in

क्रमांक / 5057 / संचिशि / नर्सिंग / 2022

रायपुर, दिनांक / 07.08.22

वर्ष 2022 एमएससी नर्सिंग (M.Sc.Nursing) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन सूचना

प्रवेश वर्ष 2022 में प्रदेश के शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में संचालित एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम (M.Sc.Nursing), में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन निम्न समय-सारिणी अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क	अनारक्षित (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) - राशि रू. 1000/- अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) - राशि रू. 500/-
2	ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर संशोधन शुल्क (Edit Fee) का भुगतान, कर संशोधन (Edit) किया जा सकता है (आवेदन की अंतिम तिथि तक)	राशि रू. 1000/- (रू. एक हजार मात्र)
3	ऑनलाईन आवेदन - प्रारंभ तिथि	दिनांक 08 अगस्त, 2022, सायं 04:00 बजे (04:00PM) से
4	ऑनलाईन आवेदन - अंतिम तिथि	दिनांक 16 अगस्त, 2022, दोपहर 02:00 बजे (02:00PM) तक

काउंसिलिंग, आबंटन एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.cgdme.co.in में उपलब्ध कराई जायेगी। जिसका आवेदक नियमित अवलोकन कर, जानकारी प्राप्त करें।


ऑनलाईन पंजीयन आवश्यक जानकारी:-


- (1) ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 एवं संशोधन दिनांक 02 फरवरी, 2022 का पूर्णतः अध्ययन करके ही प्रक्रिया में सम्मिलित हों, विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड इत्यादि।
- (2) ऑन-लाईन आवेदन के साथ ही संस्था का चयन भी करे, क्योंकि संस्था चयन (Choice) हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (3) यदि ऑन-लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके हैं, तथा ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो, परिवर्तन हेतु एडिट (Edit) शुल्क रू. 1000/- (रू. एक हजार मात्र) जमा कर, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक परिवर्तन कर सकेंगे। आवेदन में Edit Option का लाभ लेने पर भी आपके द्वारा दिये गये ई-मेल एवं मोबाईल नं. अपरिवर्तनीय होगा।
- (4) मॉप-अप राउण्ड की सूचना जारी होने पर कम समय की संभावना बनी रहती है, अतः लगातार नियमित वेबसाईट www.cgdme.co.in का अवलोकन करे एवं समस्त दस्तावेजों की स्क्रीन एवं प्रवेश प्रक्रिया देखें, छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 (बीस) का दस्तावेज सूची का अवलोकन करें तथा ऑन-लाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें (देखें : छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 नियम 9 (बीस))।
- (5) ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि (जैसे :- अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि) होने पर आप अपात्र हो जाते हैं। अतः ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना एक सुरक्षित प्रक्रिया है।

- (6) शुल्क जमा हेतु RuPay / Visa / Master Card / Maestro / Credit Cards / Internet Banking / IMPS / Cash Card / Mobile Wallets / Debit Card ही मान्य होंगे तथा अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर रिफण्ड जमाकर्ता खाते में ही वापस किया जा सकेगा। किसी अन्य खाते में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
- (7) प्रथम काउंसिलिंग में आबंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना एवं पात्र होना आवश्यक है तथा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अपात्र हो जायेंगे (देखें :छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 (नौ))।
- (8) ऑन-लाईन आवेदन पश्चात् आगामी कार्यवाही हेतु काउंसिलिंग शेड्यूल (Counselling Schedule) का अवलोकन करे।

नोट :-

1. उपरोक्त सूचना में नियम की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई किन्तु सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया नियम हेतु, "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019" का अवलोकन करें।
2. काउंसिलिंग से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट www.cgdme.co.in का नियमित अवलोकन करें।
3. आवेदन में Edit Option का लाभ लेने पर भी आपके द्वारा दिये गये ई-मेल एवं मोबाईल नं. अपरिवर्तनीय होगा।
4. आवेदन शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि से कम से कम 36 घण्टे पूर्व कर दें, चूंकि बैंक गेटवे इत्यादि संबंधित जटिलताओं से कई बार ऑनलाईन किये गये भुगतान का क्लीयरेंस (clearance) 24 घण्टे ले लेता है। अन्यथा समय-सीमा में आवेदन करने हेतु दो बार ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करना पड़ता है, यद्यपि अतिरिक्त पंजीयन शुल्क यदि उपरोक्त उल्लेखित जटिलताओं के कारण जमा हो जाता है तो, यह राशि वापसी योग्य है।
5. सभी निजी नर्सिंग महाविद्यालय का आबंटन भी संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अतः प्रवेश संबंधित कार्यवाही हेतु किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।


अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा


संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़